

सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-3: चुनावी राजनीति



हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है?

हमें चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं।



चुनाव:-

चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होता है क्योंकि चुनावों के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि सरकार का गठन हो और बाकी कामकाज हों। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते हैं।

आम चुनाव:-

पाँच साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएँ भंग हो जाती हैं, फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव ' आम चुनाव ' कहलाता है।

उपचुनाव:-

किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव ' उपचुनाव ' कहलाता है।



लोकतान्त्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तें:-

- हर किसी को मताधिकार।
- चुनावों में विकल्प उपलब्ध।
- चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर।
- वास्तविक चुनाव।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।

निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण:-

- चुनाव की घोषणा।
- प्रत्याशियों का चयन।
- नामांकन पत्र भरना।
- चुनाव, चिन्हों का आबंटन।
- राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना।
- चुनाव अभियान।
- मतदान।

- मतों की गणना।
- परिणामों की घोषणा।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:-

चुनाव सभी प्रतिस्पर्धा के बारे में हैं। प्रतिस्पर्धा के बिना चुनाव अर्थहीन हो जाएगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब विभिन्न राजनीतिक दल विश्वास हासिल करने और अंततः मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे वादे करते हैं और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं।

चुनावी प्रतियोगिता के दोष:-

- यह हर इलाके में एकता और गुटबाजी (समूहवाद) और पार्टी-राजनीति की भावना पैदा करता है।
- विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार अक्सर चुनाव जीतने के लिए बूथ कैचरिंग जैसी गंदी चाल का इस्तेमाल करते हैं।
- चुनावी लड़ाई जीतने का दबाव उपयोगी दीर्घकालिक नीतियां बनाने की अनुमति नहीं देता है।
- प्रतियोगिता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में घसीटे जाने के विचार की ओर ले जाती है। इसलिए अच्छे लोग प्रवेश नहीं करते हैं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेते हैं।

चुनावी प्रतियोगिता के गुण:-

- नियमित चुनावी प्रतियोगिता राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, तो वे फिर से जीतने में सक्षम होंगे।
- यदि कोई राजनीतिक दल केवल सत्ता में रहने की इच्छा से प्रेरित होता है, तो भी वह लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर होगा।
- इससे राजनीतिक दलों की असली मंशा का पता चलता है।

➤ यह मतदाताओं को सर्वश्रेष्ठ में से चुनने का विकल्प देता है।

भारत मे चुनाव:-

हमारे यहाँ हर 5 साल में लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है। पाँच साल के बाद चुने हुये सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या अलग-अलग अंतराल में चुनाव होते हैं।

निर्वाचन क्षेत्र या सीट:-

चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बाँट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं।

लोकसभा चुनाव में कुल सीटें:-

लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं।

सबसे बड़ा एव सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र:-

क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक है।

मतदाता सूची (वोटर लिस्ट):-

मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) कहते हैं।

मतदान के लिये योग्य उम्र:-

18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं। यानी मतदान की योग्यता रखते हैं।

उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र:-

25 वर्ष

टिकट:-

पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं।

चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम या साधन:-

- पोस्टर लगाना।
- सभाएं करना।
- भाषण देना।
- जुलूस निकालना।
- घर - घर जा कर मुलाकात करना।

चुनावी नारे:-

गरीबी हटाओ - इंदिरा गाँधी, लोकतंत्र बचाओ - जनता पार्टी, जमीन जीतने वाले को वामपंथी दल, तेलुगु स्वाभिमान - तेलुगु देशम पार्टी।

चुनाव आयोग:-

भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष व स्वतंत्र इकाई करती है जिसे चुनाव आयोग कहते हैं।

भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार:-

- चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन।
- आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दण्डित करना।
- चुनावों के दौरान सरकार को दिशा - निर्देश मानने का आदेश देना।
- सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी काम - काज लेना।
- जिन मतदान केन्द्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा चुनाव करवाना।

भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियाँ:-

- ज्यादा रूपये – पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के गलत तरीकों पर रोकथाम।
- अपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना।
- पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम।
- मतदाता को चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध करना।
- छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदम:-

- चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना।
- सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण।
- मतदाताओं के लिए पहचान पत्र।
- चुनाव याचिका का जल्द निपटारा।
- चुनाव में धन – बल के प्रयोग की जाँच।

आचार संहिता:-

चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है।

आचार संहिता के मुख्य प्रावधान:-

- चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा।
- चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा।

चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर

सकती:- चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित काम नहीं कर सकती:-

- मतदाता को प्रलोभन, घूस या धमकी।
- जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना।
- चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल।
- लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा खर्च।
- चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का प्रयोग।



Fukey Education

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 56,57,58)

प्रश्न 1 चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन-सा वाक्य ठीक नहीं है?

- a) चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं।
- b) लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं।
- c) चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं।
- d) लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं।

उत्तर -c) चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं।

प्रश्न 2 भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें कौन-सा वाक्य सही कारण नहीं देता?

- a) भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं।
- b) भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है।
- c) भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है।
- d) भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियाँ जनादेश स्वीकार कर लेती हैं।

उत्तर - भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं।

प्रश्न 3 निम्नलिखित में मेल ढूँढें:

a	समय-समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि	i	समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके।
b	कुछ निर्वाचन-क्षेत्र अनु जाती और अनु जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि	ii	हर एक को अपनी प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले।
c	प्रत्येक को सिर्फ़ एक वोट डालने का हक है ताकि	iii	हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले।

d	सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि	iv	संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहाँ उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था।
---	--	----	---

उत्तर -

a	समय-समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि	iv	संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहाँ उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था।
b	कुछ निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि	i	समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके।
c	प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि	ii	हर एक को अपनी प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले।
d	सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि	iii	हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले।

प्रश्न 4 इस अध्याय में वर्णित चुनाव सम्बन्धी सभी गतिविधियों की सूची बनाएँ और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएँ। इनमें से कुछ मामले हैं:

चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना।

उत्तर -

1. मतदाता सूची का निर्माण।
2. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।
3. नामांकन पत्र दाखिल करना।
4. चुनाव घोषणा-पत्र जारी करना।

5. चुनाव अभियान।
6. मतदान
7. पुनर्मतदान का आदेश।
8. मतगणना
9. चुनाव नतीजों की घोषणा।

प्रश्न 5 सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

- a) चुनाव प्रचार
- b) मतदान के दिन
- c) मतगणना के दिन

उत्तर –

1. **चुनाव प्रचार:** इसके लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार निम्नलिखित न करें:
 - मतदाताओं को रिश्वत/ घूस अथवा धमकी देना।
 - जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना।
 - चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना।
 - लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च करना।
 - चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना।।
 - मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाजों एवं कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग।
2. **मतदान के दिन:** इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी गड़बड़ी, मतदान केन्द्रों पर कब्जा न हो।
3. **वोटों की गिनती का दिन:** इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों के एजेन्ट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहाँ मौजूद हैं।

प्रश्न 6 नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय दो सदस्यों का क्या अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं, तो क्यों?

	अमेरिका प्रतिनिधि सभा में	अमेरिकी समाज में
अश्वेत	8	13
हिस्पैनिक	5	13
श्वेत	86	7

उत्तर -

उपरोक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

प्रश्न 7 क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में दो तथ्य प्रस्तुत कीजिए।

1. भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।

उत्तर - नहीं। यह सच नहीं है। वास्तव में चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या दलों को सजा देता है। चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है न कि सरकार के।

2. हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है।

उत्तर - हाँ, यह सच है। चुनावों में लोगों की भागीदारी प्रायः मतदान करने वाले लोगों के आँकड़ों से मापी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने

वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत में मतदान प्रतिशत या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ा है। भारत में आम लोग चुनावों को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि चुनावों द्वारा वे राजनैतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन-संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्त्व है।

3. सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है।

उत्तर – नहीं, यह सच नहीं है। सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं, वे प्रायः चुनाव हार जाते हैं।

4. अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने ज़रूरी हैं।

उत्तर – हाँ, यह सच है। सुधार किया जाना आवश्यक है क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिनके पास अधिक पैसा है उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है। देश के कुछ भागों में आपराधिक छवि वाले लोग अन्य लोगों को चुनावी दौड़ में पछाड़ कर मुख्य दलों से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं।

प्रश्न 8 चिन्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यही फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ़ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर – यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है क्योंकि चिन्पा व सतबीर दोनों ही अपराधी हैं तथा देश के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए। इसलिए, उन्हें केन्द्र अथवा राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए क्योंकि उनमें परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे।

प्रश्न 9 यहाँ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई हैं। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों के सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे?

1. नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जान-बूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजयी घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले पाँच लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था।

उत्तर – इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है।

2. फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक परचा बाँटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून-खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी।

उत्तर – चुनाव आयोग को इस मामले में जाँच करनी चाहिए तथा ऐसे पर्चे बांटने वाले दल या उम्मीदवार को बर्खास्त कर देना चाहिए।

3. अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी-अपनी प्रणालियाँ हैं। सन् 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका।

उत्तर – वहाँ केवल एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जिसे राजनैतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

प्रश्न 10 भारत में चुनावी गड़बड़ियों से सम्बन्धित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गयी हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?

1. चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बन्द पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।

उत्तर – चुनावी की तिथि घोषित हो जाने के बाद सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेना उचित नहीं है। मंत्री महोदय ने चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वायदा करके एक नीतिगत निर्णय की घोषणा की है। जो कि अनुचित है। क्योंकि इससे चुनाव को प्रभावित करने की मंशा साफ झलकती है। अतः मंत्री महोदय को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय का कृत्य आदर्श चुनाव आचार-संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

2. विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली।

उत्तर – सभी राजनैतिक दलों को रेडियो तथा दूरदर्शन अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता एवं समय दिया जाना चाहिए। भारत में सभी राजनैतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा समय दिया जाता है। विपक्षी दल के बयानों एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

3. चुनाव आयोग की जाँच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले।

उत्तर – फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ी की तैयारी की थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए।

4. एक राजनैतिक दल के गुण्डे बन्दूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे।

उत्तर – गुण्डों एवं आपराधिक तत्त्वों का प्रयोग करके राजनैतिक दलों द्वारा अपने प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा धमकाना और भयभीत करना राजनैतिक दुराचार है। बन्दूक तथा अन्य घातक हथियारों के साथ चुनाव के दौरान लोगों का घूमना फिरना बन्द किया जाना चाहिए। जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं उनके हथियार चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही जमा करा लिए जाने चाहिए तथा अवैध हथियार लेकर घूमने वालों को दण्डित किया जाना चाहिए। सभी उम्मीदवारों को सरकार की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए कि असामाजिक तत्त्व चुनाव के दौरान गड़बड़ी न कर सकें।

प्रश्न 11 जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है?

1. औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है।

उत्तर – यह कथन गलत है क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकता/ सकती है। महिलाएँ अपना निर्णय स्वयं लेने तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूर्णतः सक्षम हैं।

2. पार्टी-पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए।

उत्तर – यह सच है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव का कारण बनती है, किन्तु यह कहना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होने चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंद्विता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है क्योंकि राजनेता अपने-अपने वादे निभाने में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वे ईमानदार न हों, किन्तु उन्हें यह पता होता है कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा।

3. सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए।

उत्तर – लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार राजनेताओं को स्नातक होना आवश्यक नहीं है।

Fukey Education